सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 166 दर्ज तिथिः—12.06.2023

1. रूगनाथराम पुत्र विरधीचन्द
2. सुनिल कुमार पुत्र विरधीचन्द
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. गोबराराम पुत्र कुचटाराम
   जाति मेगवाल निवासी लुम्बावास, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

2. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.07.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961 / 1957 / 5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादीगण का उक्त आराजी पर पीढीयों से निर्बाध रूप से कब्जा—काश्त चला आ रहा है। वादीगण की कब्जाशुदा आराजी एवं वादीगण की आराजी के पड़ौस में स्थित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 1657 / 5 / 2.3715 है0 मौजा गुड़ामालानी अवस्थित है। प्रकरण में वादीगण के पड़ोसी खातेदार प्रतिवादी की आराजी पर हाल ही में राजस्व आवेदन संख्या 27 / 2023 उनवान गोबराराम बनाम पुनित कुमार में हाजा न्यायालय द्वारा नेखमबंदी के आदेश पारित किये गये हैं। इससे पूर्व उक्त खसरे के मुल खसरा संख्या 1657 / 1 रकबा 39 बीघा 02 बिस्वा का था। जिसमें उक्त मूल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

खसरे में से बेचान के बाद खातेदार नन्दकिशोर पुत्र हनुमान के नाम नामांतरकरण संख्या 2377/20.08.2020 पारित किया गया एवं नवीन खसरा संख्या 1657/5/14 बीघा 13 बिस्वा का राजस्व रिकॉर्ड में संधारित किया गया। तत्पश्चात् खातेदार नन्दकिशोर द्वारा प्रतिवादी गोबराराम पुत्र कुचटाराम को उक्त आराजी बेचान की गई। जिसका नामांतरकरण संख्या 2532/05.12.2022 को पारित किया गया। इस प्रकार उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 गोबराराम पुत्र कुचटाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इससे पूर्व उक्त मूल खसरा संख्या 1657/1 के संबंध में हाजा न्यायालय में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अंतर्गत एक आवेदन संख्या 108/2020 बउनवान कृष्ण कुमार बनाम रूगनाथराम विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी के पूर्व खातेदार नन्दकिशोर एवं कृष्ण कुमार द्वारा पेश किया गया था। जिसमें मूल खसरा संख्या 1957/1 की तरमीम अशुद्ध करवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती की बात को छुपाते हुए नेखमबंदी का आवेदन हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के पूर्व खातेदार नन्दकिशोर एवं कृष्ण कुमार द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती करवाने के पश्चात् प्रतिवादी को उक्त आराजी का बेचान किया गया। प्रकरण में क्रेता सावधान के नियमानुसार प्रतिवादी को वक्त खरीद के समय जितनी आराजी का कब्जा सुपुर्द किया गया। उससे प्रतिवादी वक्त खरीद संतुष्ट था। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद से काबिज होने के कारण किसी प्रकार का दावा या आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं है।

2. वादीगण का मूल खसरा संख्या 1957/2 था। जिसमें उक्त खातों को ऑनलाईन करते समय वादीगण को नवीन खसरा संख्या 1961/1657 रकबा 5.5408 है0 आवंटित किया गया। जिस पर वादीगण वर्तमान में काबिज काश्त हैं। साथ ही वादीगण के पड़ोस में प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 1657/5 अवस्थित है। जिस पर चारों ओर माठ बनी हुई है। वर्तमान में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में अपना कब्जा मानकर वादीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

3. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल के पश्चात् असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 1657/5/2.3715 है0 की नेखमबंदी के पश्चात् पत्थर लगाने के दौरान वादीगण द्वारा विरोध करते हुए बाहुबल से प्रतिवादी की खातेदारी आराजी पर बाहुबल से अतिक्रमण किया गया। जिसके संबंध में प्रतिवादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 बी के अंतर्गत एक प्रार्थना—पत्र न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी में विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र के नोटिस वादीगण को प्राप्त होने पर वादीगण द्वारा हस्तगत दावा प्रस्तुत किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है। साथ ही वादी द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा कर उक्त आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी का वादी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 1657/5 रकबा 2.3715 है0 पर दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा नेखमबंदी के पश्चात् नेखम स्थापित किये जाने के आधार पर वादी का उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है। तत्पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1657/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर विरूद्ध प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।*

.....वादी

2. *आया प्रतिवादी का वादी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने तथा स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही काबिज होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादी

3. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
1.	खाता संख्या 190 जमाबंदी वाके ग्राम गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2072—2076
2.	खसरा संख्या 1961/1657 राजस्व नक्शा वाके ग्राम गुड़ामालानी	10.06.2023
3.	खाता संख्या 250 जमाबंदी वाके ग्राम गुड़ामालानी	वास्तविक सम्वत 2072
4.	प्रकरण संख्या 108/2020 बउनवान कृष्णकुमार बनाम रूगनाथराम की प्रमाणित प्रति	

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू.—1	रूगनाथराम पुत्र विरधीचंद जाति विश्नोई	ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—2	विरधीचंद पुत्र नारायणजी जाति विश्नोई	ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—3	किशनाराम पुत्र उदाराम जाति विश्नोई	ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—4	देवीचंद पुत्र नारणाराम जाति विश्नोई	ग्राम कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया।

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./24/2208 दिनांक 23.10.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसका उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *4. कि वादीगण के खेत खसरा संख्या 1961/1657 रकबा 5.5408 है0 व प्रतिवादीगण के खेत खसरा संख्या 1657/5 रकबा 2.3715 है0 के मध्य कंटीली झाड़ियों की माठ बनी हुई है।*
> *5. कि वादीगण के खसरा संख्या 1961/1657 मौका पर डामर सड़क बनाई हुई है।*
> 6. *कि प्रतिवादीगण के खसरा संख्या 1657/5 में एक रहवासी पक्का मकान बना हुआ है।*

8. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण की खातेदारी आराजी में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./24/2208 दिनांक 23.10.2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

9. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

		किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी की खातेदारी आराजी के मध्य माठ बनी हुई है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं।

7. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि वादी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी रकबा 5.5408 है0 आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी का निवेदन है कि वादी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी रकबा 5.5408 है0 आराजी से अधिक रकबे पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे। यहां उल्लेखनीय है कि किसी खातेदार के खातेदारी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे पर ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण में प्रतीत होता है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारी आराजी रकबा 5.5408 है0 आराजी से अधिक रकबे पर स्थाई निषेधाज्ञा करवाना चाहता है। इस प्रकार का अनुतोष हस्तगत प्रकरण में संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी के खातेदारी आराजी के पृथक खसरे की नेखमबंदी को स्थाई निषेधाज्ञा के दावा से प्रतिबंधित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण खातेदार के खातेदारी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे तक ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5.5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे तक ही विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादी की खातेदारी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादी को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 166 दर्ज तिथिः—12.06.2023

1. रूगनाथराम पुत्र विरधीचन्द
2. सुनिल कुमार पुत्र विरधीचन्द
   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. गोबराराम पुत्र कुचटाराम
   जाति मेगवाल निवासी लुम्बावास, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

2. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:पर्चा डिक्री:—

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1961/1957/5. 5408 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे तक ही विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादी की खातेदारी में दर्ज खातेदारी आराजी के रकबे के समान आराजी तथा राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में अंकित तितम्मे पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादी को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested

का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाई गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.09 17:17:38 IST
Reason: SelfAttested